

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

प्रेषक,

अनुबन्धकर सिद्दीख पी०, भा०प्र०स०
सरकार के सचिव।

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची / दिनांक 06/03/24

विषय-

वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजनान्तर्गत "तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना" के तहत विभिन्न जीर्णोद्धार कार्यों के निमित्त कुल रु० 45.482 लाख (पैंतालीस लाख अड़तालीस हजार दो सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं विगत वित्तीय वर्ष 2022-23 में उक्त योजनान्तर्गत प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त कार्यों के निमित्त जीर्णोद्धार मद में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन मो० 61.7999 लाख (एकसठ लाख उनासी हजार नौ सौ नब्बे) रुपये मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजनान्तर्गत "तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार" योजना अंतर्गत जीर्णोद्धार मद में प्रथम चरण में राज्यादेश सं० 31 रा० (वि०) दिनांक 02.01.2024 निर्गत है। इसी क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में द्वितीय चरण में उक्त योजना के तहत विभिन्न नये जीर्णोद्धार कार्यों के निमित्त कुल रु० 45.482 लाख (पैंतालीस लाख अड़तालीस हजार दो सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं विगत वित्तीय वर्ष 2022-23 में उक्त योजनान्तर्गत प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त कार्यों के लिये जीर्णोद्धार मद में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन मो० 61.7999 लाख (एकसठ लाख उनासी हजार नौ सौ नब्बे) रुपये मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(i) चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में मो० 45.482 लाख रु० मात्र के नए कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न रूप से दी जाती है -

क्र.सं.	जीर्णोद्धार कार्य	प्राक्कलित/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (रु० में)	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का स्तर	जिला
लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
1	शालीमार, धुर्वा स्थित मत्स्य प्रक्षेत्र के सचयन तालाब सं० 1 का जीर्णोद्धार	45,48,200/-	अधीक्षण अभियता, भवन निर्माण विभाग, छोटानागपुर अंचल, राँची द्वारा दिनांक 05.07.2023 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची
कुल योग:		45,48,200/-		

मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची के जीर्णोद्धार कार्य हेतु प्राक्कलित/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि मो० 45,48,200/- रु० मात्र के विरुद्ध चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत बजट उपबंध के अधीन मो० 43,43,926/- रु० मात्र आवंटित किये जाएंगे। शेष मो० 2,04,274/- रु० मात्र का व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसी मद में समुचित बजट उपबंध प्राप्त करते हुए किया जा सकेगा।

(ii) वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्यादेश सं० 46 रा० (वि०) दिनांक 22.02.2023 द्वारा इस योजना के जीर्णोद्धार मद में विभिन्न कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी किन्तु समुचित बजट उपबंध नहीं होने के कारण कतिपय कार्यों के लिये स्वीकृत सम्पूर्ण राशि के व्यय की स्वीकृति नहीं दी जा सकी। उक्त राज्यादेश में इन कार्यों के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष में बजट उपबंध प्राप्त कर व्यय की स्वीकृति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। उक्त आलोक में निम्नांकित कार्यों के लिये वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन निम्नरूपेण व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

क.	जीर्णोद्धार कार्य	प्राक्कलित/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (रु० में)	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का स्तर	वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु स्वीकृत राशि	वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस स्वीकृत्यादेश से व्यय हेतु स्वीकृत राशि
(क)	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन				
1	जिला मत्स्य कार्यालय भवन एवं आवासीय भवन, पलामू की मरम्मति	24,59,700/-	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, पलामू द्वारा दिनांक 28.11.2022 को।	8,18,350/-	16,41,217/-
(ख)	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
2	जिला मत्स्य कार्यालय / तालाब परिसर, गुमला का कन्सर्टीना फेसिंग के साथ चाहरदीवारी मरम्मति कार्य	18,19,500/-	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, गुमला द्वारा दिनांक 11.01.2023 को।	15,25,753/-	1,94,847/-
कुल योग:		42,79,200/-		24,43,103/-	18,36,064/-

जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पलामू के पत्रांक 119 दिनांक 02.02.2024 तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, गुमला के पत्रांक 43 दिनांक 10.01.2024 द्वारा उपरोक्त कार्यों के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु शेष राशि की माँग की गई है।

3. स्वीकृत राशि का व्यय निम्न बजट शीर्ष में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन किया जायेगा जिसके लिए समुचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त है :

माँग संख्या-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-06-तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना
(राशि लाख रु० में)

क्र०	लघु शीर्ष / विस्तृत शीर्ष	बजट उपबंध	राज्यादेश सं० 12 रा० (वि०) दिनांक 06.07.23 द्वारा स्वीकृत राशि	राज्यादेश सं० 31 रा० (वि०) दिनांक 02.01.2024 द्वारा स्वीकृत राशि	वर्तमान में स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
(क)	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली-पालन					
1	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री 53S24050010106010323	1623.00	1622.98365	0.00	0.00	0.01635
2	विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-43-अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) 53S24050010106010543	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00

3/11/24
रजि. 14

167

3	विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-44-जीर्णोद्धार 53S24050010106010544	140.00	50.00	56.399	16.41217	17.18883
4	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय 53S24050010106010759	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
	उप योग:	1785.00	1694.98365	56.399	16.41217	17.20518
(ख)	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना					
1	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री 53S24050078906010323	390.00	389.98352	0.00	0.00	0.01648
	उप योग:	390.00	389.98352	0.00	0.00	0.01648
(ग)	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना					
1	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री 53S24050079606010323	1751.00	1750.99280	0.00	0.00	0.0072
2	विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाडियों/ ईंधन-40-नई मोटरगाडी का क्रय 53S24050079606010440	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
3	विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-43-अनुरक्षण, मरम्मत एव सुसज्जीकरण (सामग्री) 53S24050079606010543	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
4	विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-44-जीर्णोद्धार 53S24050079606010544	180.00	36.50	98.11227	45.38773	0.00
5	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय 53S24050079606010759	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00
	उप योग:	2000.00	1836.49280	98.11227	45.38773	20.0072
	कुल योग:	4175.00	3921.45997	154.51127	61.7999	37.22886

कुल मो0 61.7999 लाख (एकसठ लाख उनासी हजार नौ सौ नब्बे) रु0 मात्र।

4. राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना अंतर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी।

5. (क) इस योजना अंतर्गत संपूर्ण उपबंधित राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय होगी तथा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पलामू/गुमला होंगे। कंडिका 2 में अंकित जीर्णोद्धार कार्यों के विरुद्ध वित्तीय लक्ष्य/स्वीकृत राशि के अधीन प्राप्त आवंटन से राशि की निकासी संबंधित कोषागार से एकमुश्त करते हुये भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंताओं को पुस्त हस्तांतरण के माध्यम से संबंधित डिपोजिट शीर्ष में नियमानुसार उपलब्ध करायी जाएगी। सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंताओं से निरंतर संपर्क कर कार्य की प्रगति सुनिश्चित करेंगे।

(ख) स्वीकृत राशि का व्यय लोक निर्माण संहिता (PWD) के विहित प्रावधानों तथा वित्त विभागीय एतद् विषयक निर्गत आदेशों के अधीन किया जायेगा।

6. तकनीकी रूप से स्वीकृत योजना प्राक्कलन के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण जीर्णोद्धार कार्य सुनिश्चित कराने के उपरांत ही कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक को अंतिम भुगतान किया जाएगा।

7. यह चालू प्रकृति की राज्य योजना है। इस योजना के अंतर्गत कोई अग्रिम समायोजन हेतु शेष नहीं है। साथ ही उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित करना लंबित नहीं है।

8. योजना के राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एव सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

5/11/23

10/11/23

9. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।
10. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं०-सी०एस०-2/आर०-01-2005-301 दिनांक 11 मार्च, 2015 एवं सी०एस०-01/आर०-04/2001/1269 दिनांक 21 सितम्बर, 2023 के द्वारा प्रशासी विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।
11. योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर दर निर्धारित करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
12. योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत बजट उपबंध मो० 4000.00 लाख रु० (संशोधित बजट उपबंध मो० 3730.00 लाख रु० - मुख्य शीर्ष-2405 एवं 4405 सहित) मात्र में से मो० 3265.25841 लाख रु० मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया है।
13. योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची के द्वारा योजना अंतर्गत स्वीकृत सभी निर्माण कार्य को वित्तीय वर्ष 2025-26 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण न हो। इस योजनान्तर्गत स्वीकृत सभी जीर्णोद्धार कार्य प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप किया जाय।
15. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
16. स्वीकृत राशि हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
17. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबकर सिद्दीख पी०)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 50.210.1(18) राँची, दिनांक 06/03/24

प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 50.210.1(18) राँची, दिनांक 06/03/24

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल/योजना-सह-विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग (बजट शाखा) झारखण्ड, राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त (सभी)/उपायुक्त (सभी) एवं उप विकास आयुक्त (सभी)/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव